



फर्द अहकाम

( नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

मांगूदास बनाम राधेश्याम (नंगर)

किस्म मुकदमा ... प्रारंभिक 111-128 ..... नं० 41 सन 2023

दिनांक	हुकम या कार्यवाही गय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5.4.23	<p>वाद / <input checked="" type="checkbox"/> प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 28.4.23 को पेश हो।</p> <p> उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>8/5/23 पत्रावली मंहगाईराहत कैम्प एवं प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023 ग्राम पंचायत भादू में पेश हुई, विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल होकर जाचउठ जिसे शाप किये गये। विपक्षीगण अबुपस्थित, प्रार्थी का जाचपत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय हुक्म से लिखा जाकर शाप किया गया। पत्रावली फसल बुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	<p> हुक्मी बन्द शिहलानिया उपखण्ड अधिकारी माण्डल प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023</p>

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-हुकमीचन्द रोहलानिया, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 41/23 प्रा०पत्र

1- श्री मांगुदास स।० श्री लक्ष्मीदास लैरागी निवासी- गाड़ू तहसील-माण्डल

--प्रार्थी

वनाम

1- श्री लक्ष्मीदास स।० श्री लक्ष्मीदास लैरागी निवासी- गाड़ू तहसील-माण्डल

B. 11 लक्ष्मीनगर भीलवाडा (रा०) [वर्गैरा] (घ० ६६० कित प्रा०पत्र माण्डल)

--विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 08-05-23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....गाड़ू.....पटवार हल्का.....गाड़ू.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न० 2779, 2780.....कुल कित।.....02.....रकबा 1-2899 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05-04-23 को पंजीवद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....गाड़ू.....पटवार हल्का.....गाड़ू.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 2779/461, 2780/462 कुल कित।.....02.....रकबा 1-2899 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....लुहरिया को.....500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीचन्द रोहलानिया  
उपखण्ड अधिकारी माण्डल  
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023